



शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,
धरमपुरा-2, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001
Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar
Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 379 / ब.वि.वि. / अका. / 2021

जगदलपुर, दिनांक 25 / 06 / 2021

// अधिसूचना //

विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 287 रायपुर, शनिवार दिनांक 22 मई 2021 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्र. 9 सन् 2021) के अनुसार मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "बस्तर विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर" प्रतिस्थापित किया गया है।

अतः बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के नाम से किये जाने वाले समस्त पत्राचार **शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन कोड-494001** (Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, Pincode 494001) के नाम से किया जावे।

यह अधिसूचना बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की अधिसूचना क्रमांक 305 / ब.वि.वि. / अका. / 2021 जगदलपुर, दिनांक 25 / 05 / 2021 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. विनोद कुमार पाठक)

कुलसचिव

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 25 / 06 / 2021

पृ.क्रमांक / 380 / ब.वि.वि. / अका. / 2021
प्रतिलिपि :-

01. मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
02. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
03. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर
04. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
05. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
06. महाधिवक्ता / समस्त उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
07. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर।
08. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
09. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
10. महासचिव, एसोसियेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली।
11. सचिव, छ.ग.शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

Dev
25.6.2021

12. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
13. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
14. कुलपति/कुलसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय/समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय, भारत।
15. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/प्रबंधक/सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/बार काउंसिल ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/एन.आई. आर.एफ./ए.आई.एस.एच.ई., प्रधान कार्यालय/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, भारत।
16. संभाग आयुक्त, बस्तर/रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा।
17. कुलपति, समस्त शासकीय (राजकीय)/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
18. समस्त सम्माननीय कार्यपरिषद्/विद्यापरिषद्/विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर।
19. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
20. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
21. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
22. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
23. संचालक/निदेशक/प्रबंधक, समस्त निगम/मण्डल/आयोग/प्राधिकरण, छत्तीसगढ़
24. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर/रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा रेंज, छत्तीसगढ़।
25. कलेक्टर, समस्त जिला, छत्तीसगढ़।
26. विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
27. कुलसचिव, समस्त शासकीय (राजकीय)/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
28. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर।
29. समस्त विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर।
30. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर।
31. पोस्ट मास्टर, मुख्य डाकघर/धरमपुरा पोस्ट ऑफिस, जगदलपुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
32. सर्वसाधारण के सूचनार्थ विश्वविद्यालय सूचना पटल पर चस्पा करने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
33. समस्त सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र/चैनल, अन्य प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, बस्तर संभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने लोक प्रिय समाचार पत्र/चैनल में निःशुल्क प्रकाशित एवं प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।
(ई-मेल/अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम द्वारा प्रेषित)।


25.6.2021

(सी. एल. टंडन)

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर (छ.ग.)

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक 5206/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-05-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|--|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा. |
| | | (2) | इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. |
| | | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| नवीन धारा 70 का अन्तःस्थापन. | 2. | | छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- |
| | | | “70. स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम.- इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के संशोधन के फलस्वरूप स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिये वही अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम लागू माने जायेंगे, जो कि विद्यमान विश्वविद्यालय, जिससे नवीन विश्वविद्यालय निर्मित किया गया हो, के लिये लागू है.” |
| द्वितीय अनुसूची के भाग- दो (पुनरीक्षित) का संशोधन. | 3. | | मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द “बस्तर विश्वविद्यालय” के स्थान पर, शब्द “शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर” प्रतिस्थापित किया जाये. |

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक 5206/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 22-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2021)

**THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020.**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973
(No. 22 of 1973).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. Short title, extent and commencement.
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. After Section 69 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be added, namely:- Insertion of new Section 70.

“70. Ordinance, Statute and Regulation for new established University.- The same Ordinance, Statute and Regulation for the newly established University, as a result of amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Act, shall be deemed to be applicable which is applicable for the existing University, from which the new University has been formed.
3. In entries of column (2) of serial number 1 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Principal Act, for the words “Bastar Vishwavidyalaya”, the words “Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar” shall be substituted. Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule.